रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1045] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2004/अग्रहायण 17, 1926
No. 1045] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2004/AGRAHAYANA 17, 1926

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2004

आयकर

का० आ० 1340(अ).— केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बीसवाँ ..संशोधन) नियम, 2004 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. आयकर नियम, 1962 में,-

(क) नियम 114क के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन ।

114 क. (1) कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए धारा 203क की उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन प्ररूप सं. 49ख में दो प्रतियों में किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आवेदन,-

(i) उन दशाओं में, जहां धारा 203क के अधीन कर कटौती और कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन का कार्य मुख्य आयुक्त या आयुक्त द्वारा किसी विशिष्ट निर्धारण अधिकारी को सौंपा गया है, उस निर्धारण अधिकारी को ;

(ii) किसी अन्य दशा में, आवेदक का निर्धारण करने की अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को ;

किया जाएगा ।

(3) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन,-

(i) उस दशा में जहां किसी व्यक्ति ने, यथास्थिति, 1 अक्टूबर 2004 के पूर्व या 31 जनवरी 2005 को या उससे पूर्व शीर्ष 'ख - स्रोत पर कटौती' या ' खख-स्रोत पर संग्रहण' के अधीन अध्याय-17 के उपबंधों के अनुसरण में कर कटौती या कर संग्रहण ;

(ii) उस दशा में, जहां किसी व्यक्ति ने,-
1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात्-

(क) शीर्ष ' ख-स्रोत पर कटौती' के अधीन अध्याय-17 के उपबंधों के अनुसरण में कर कटौती की है या करता है ; या

(ख) शीर्ष ' खख-स्रोत पर संग्रहण' के अधीन अध्याय-17 के उपबंधों के अनुसरण में कर संग्रहण किया है या करता है,
उस मास की समाप्ति से, जिसमें, यथास्थिति, कर कटौतियां या कर संग्रहण किया गया था, एक मास के भीतर या 31 जनवरी, 2005, इनमें से जो भी पश्चातवर्ती हो

किया जाएगा।" ;

ख. परिशिष्ट -2 में, प्ररूप सं. 49ख के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

"प्ररूप सं. 49ख

(नियम 203क और नियम 114क देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 203क के अधीन कर कटौती लेखा संख्यांक और कर संग्रहण लेखा संख्यांक के आबंटन के लिए आवेदन का प्ररूप

सेवा में,

निर्धारण अधिकारी (स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण),

.....

.....

निर्धारण अधिकारी कोड (स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर कर संग्रहण)	
क्षेत्र कोड	
नि.अ. प्रकार	
रेंज कोड	
नि.अ. संख्यांक	

महोदय,

*मैं/हम आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 17 के अनुसार ' ख-स्रोत पर कटौती' / *'खख-स्रोत पर संग्रहण' शीर्ष के अधीन कर* कटौती/संग्रहण या कर कटौती और कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी *हूं/हैं ;

और *मुझे/हमें और कोई कर -कटौती लेखा-संख्यांक/कर संग्रहण लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है ;

और *मुझे / हमें कर-कटौती लेखा-संख्यांक/कर संग्रहण लेखा संख्यांक या कर कटौती लेखा संख्यांक और कर संग्रहण लेखा संख्यांक आबंटित नहीं किया गया है ।

[कृपया भरने से पहले अनुदेशों का निर्देश करें]

1. नाम (स्तंभ 'क' से 'ज' तक जो भी लागू हो, केवल एक स्तंभ भरें,)

क. केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारः

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए ।

केन्द्रीय सरकार ..... स्थानीय प्राधिकारी (केंद्रीय सरकार) .....

राज्य सरकार ..... स्थानीय प्राधिकारी (राज्य सरकार) .....

कार्यालय का नाम

संगठन का नाम

विभाग का नाम

मंत्रालय का नाम

* संदाय करने/कर संग्रहण करने लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान .....

ख. **कानूनी/स्वायत्त निकायः**

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

कानूनी निकाय ☐..... स्वायत्त निकाय ☐.....

कार्यालय का नाम

संगठन का नाम

* संदाय करने/कर संग्रहण करने लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

ग. **कंपनी (टिप्पण 1 देखें) :**

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

केन्द्रीय सरकार कंपनी/किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी .....☐.....

राज्य सरकार कंपनी/किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी .....☐.....

अन्य कंपनी .....☐.....

अभिनाम (मैसर्स) (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाए) ☐.....

कंपनी का नाम

*संदाय करने/कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

घ. **कंपनी की शाखा/प्रभागः**

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए ।

केन्द्रीय सरकार कंपनी/किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी ☐.....

राज्य सरकार कंपनी/किसी राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित कंपनी ☐.....

अन्य कंपनी ☐.....

अभिनाम (मैसर्स) (यदि लागू हो तो सही का निशान लगाए) ☐.....

कंपनी का नाम

प्रभाग का नाम

शाखा का नाम/अवस्थिति

*संदाय करने/कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का पदाभिधान

ङ **व्यष्टि/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (कर्ता) (टिप्पण 2 देखें)**

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

व्यष्टि ☐..... हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब ☐.....

अभिनाम (व्यष्टि के लिए समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाएं)

श्री ☐..... श्रीमती ☐..... कुमारी ☐.....

अंतिम नाम/कुल नाम

पहला नाम

मध्य नाम

च. **व्यष्टिक कारबार की शाखा (एकल स्वामित्व प्रतिष्ठान)/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब (कर्ता)**

समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाए

व्यष्टि कारबार की शाखा ☐..... हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की शाखा ☐.....

व्यष्टि/हिन्दु अभिव्यक्त **कुटुम्ब (कर्ता)**

अभिनाम (व्यष्टि के लिए समुचित प्रविष्टि को सही का निशान लगाएं)

श्री ☐..... श्रीमती ☐..... कुमारी ☐.....

अंतिम नाम/कुल नाम .....

पहला नाम .....

मध्य नाम .....

शाखा का नाम/अवस्थिति

छ. **फर्म/व्यक्तियों का संगम/**

व्यक्तियों का संगम (न्यास)/ व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति (टिप्पण 3 देखें)

नाम .....

ज. **फर्म/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का संगम(न्यास)/व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति की शाखा**

फर्म/व्यक्तियों का संगम/व्यष्टियों का संगम (न्यास)/व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति का

नाम .....

शाखा का नाम/अवस्थिति .....

2. पता :

फ्लैट/मकान/ब्लाक सं.

परिसर/भवन/गांव का नाम .....

मार्ग/गली/लेन/डाकघर .....

क्षेत्र/परिक्षेत्र/उप खंड .....

नगर/शहर/जिला .....

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र .....

पिन कोड

(पिन कोड निर्देशन आज्ञापक है)

टेलीफोन नं0
एस.टी.कोड .....

टेलीफोन नं0 .....

ई-मेल आई डी

क .....

ख

3. **राष्ट्रीयता**

(समुचित प्रविष्टि पर सही (√)का निशान लगाए)

भारतीय ☐ विदेशी ☐

4. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. विद्यमान कर कटौती लेखा संख्यांक (टैन), यदि कोई हो ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6. विद्यमान कर संग्रहण लेखा संख्यांक (टीसीएन), यदि कोई हो ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

7. तारीख (तारीख-महीना-वर्ष) ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

.....

हस्ताक्षर(आवेदक)

सत्यापन

*मैं/हम ..... *मेरी/हमारी ..... की हैसियत से घोषणा करता हूं/करते हैं कि जो भी ऊपर उल्लिखित है, वह मेरी/हमारी* पूर्ण जानकारी और विश्वास से सही है ।

आज तारीख ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐ को सत्यापित किया ।

.....

(आवेदक के हस्ताक्षर/बायें अंगूठे का निशान)

टिप्पण:-

1. यह स्तम्भ केवल तभी लागू होगा यदि पूर्ण कंपनी के लिए एकल टैन के लिए आवेदन किया जाता है । यदि भिन्न प्रभागों/शाखाओं के लिए पृथक टैन के लिए आवेदन किया जाता है तो कृपया (घ) में ब्यौरे भरें ।

2. व्यष्टि कारबार/हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की शाखा के लिए कृपया (च) में ब्यौरें भरें ।

3. फर्म/व्यक्तियों का संगम/व्यक्तियों का संगम(न्यास)/व्यष्टियों का निकाय/कृत्रिम विधिक व्यक्ति की शाखा के लिए कृपया (ज) में ब्यौरें भरें ।

4. जो लागू न हो उसे काट दें ।

[अधिसूचना सं० 294/2004/फा० सं० 142/32/2004-टीपीएल]

डी० पी० सेमवाल, निदेशक (टीपीएल III)]

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं० का०आ० 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन आय-कर (उन्नीसवाँ संशोधन) नियम, 2004 द्वारा अधिसूचना सं० का०आ० 1334(अ) तारीख 07-12-2004 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2004

INCOME-TAX

S.O. 1340(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. (1) These rules may be called the Income-tax (20th Amendment) Rules, 2004.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962,-

(A) for rule 114A, the following rule shall be substituted, namely:-

"Application for allotment of a tax deduction and collection account number.

114A. (1) An application under sub-section (1) of section 203A for the allotment of a tax deduction and collection account number shall be made in duplicate in Form No.49B.

(2) An application referred to in sub-rule (1) shall be made,—

(*i*) in cases where the function of allotment of tax deduction and collection account number under section 203A has been assigned by the Chief Commissioner or Commissioner to any particular Assessing Officer, to that Assessing Officer;

(*ii*) in any other case, to the Assessing Officer having jurisdiction to assess the applicant.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be made,—

(*i*) in a case where a person has deducted tax or collected tax in accordance with the provisions of Chapter XVII under the heading 'B.—Deduction at source' or 'BB.- Collection at source', as the case may be, prior to the 1st day of October, 2004, on or before the 31st day of January, 2005;

(*ii*) in a case where a person has,-

(a) deducted or deducts tax in accordance with the provisions of Chapter XVII under the heading 'B —Deduction at source'; or

(b) collected or collects tax in accordance with the provisions of Chapter XVII under the heading 'BB.- Collection at source',

on or after the 1st day of October, 2004, within one month from the end of the month in which the tax was deducted or collected, as the case may be, or the 31st day of January, 2005, whichever is later.";

(B) in Appendix II, for Form No.49B, the following Form shall be substituted, namely:-

"FORM NO. 49B

[See section 203A and rule 114A]

Form of application for allotment of tax deduction and collection account number under section 203A of the Income-tax Act, 1961.

To,
The Assessing Officer (TDS/TCS)
.....
.....

Assessing Officer Code (TDS/TCS)	
Area Code	
AO Type	
Range Code	
AO Number	

Sir,

Whereas *I/we *am/are liable to *deduct/collect tax or deduct tax and collect tax in accordance with Chapter XVII under the heading *'B.- Deduction at source' or 'BB.-Collection at source' of the Income-tax Act, 1961;
And whereas no *tax deduction account number/tax collection account number or tax deduction account number and tax collection account number has been allotted to *me/us;
*I/we give below the necessary particulars:

[Please refer to the instructions before filling up the form]

1. Name (Fill only one of the columns 'a' to 'h', whichever is applicable)

a. Central/State Government:

Tick the appropriate entry

Central Government ☐ Local Authority (Central Government) ☐

State Government ☐ Local Authority (State Government) ☐

Name of Office

Name of Organisation

Name of Department

Name of Ministry

3647 GI-2

Designation of person responsible for *making payment/collecting tax

(b) Statutory/autonomous bodies:

Tick the appropriate entry

Statutory Body ☐ Autonomous Body ☐

Name of Office

Name of Organisation

Designation of person responsible for *making payment/collecting tax

(c) Company: (See Note 1)

Tick the appropriate entry

Central Government Company/ Company established by a Central Act ☐ State Government Company/ Company established by a State Act ☐

Other Company ☐

Title (M/s) (Tick, if applicable) ☐

Name of Company

Designation of person responsible for *making payment/collecting tax

(d) Branch/Division of a Company:

Tick the appropriate entry

Central Government Company/ Company established by a Central Act ☐ State Government Company/ Company established by a State Act ☐

Other Company ☐

Title (M/s) (Tick, if applicable) ☐

Name of Company

Name of Division

Name/Location of Branch

Designation of person responsible for *making payment/collecting tax

(e) Individual/Hindu undivided family (Karta) (See Note 2)

Tick the appropriate entry

Individual ☐ Hindu undivided family ☐

Title (Tick the appropriate entry for individual)

Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐

Last Name/ Surname

First Name

Middle name

(f) Branch of individual business (Sole proprietorship concern)/Hindu undivided family (Karta)

Tick the appropriate entry

Branch of individual business ☐ Branch of Hindu undivided family ☐

Individual/Hindu undivided family (Karta)

Title (Tick the appropriate entry for individual)

Shri ☐ Smt. ☐ Kumari ☐

Last Name/ Surname

First Name

Middle name

Name/Location of Branch

(g) Firm/association of persons/association of persons (trusts)/body of individual/artificial juridical person (See Note 3)

Name

(h) Branch of firm/association of persons/association of persons (trusts)/body of individual/artificial juridical person.

3647 GI/04 – 3

Name of firm/association of persons/association of persons (trusts)/body of individual/artificial juridical person.

Name/ Location of Branch

2. **Address**

Flat/Door/Block No.

Name of premises/Building/Village

Road/Street/Lane/Post Office

Area/Locality Taluka/Sub-Division

Town/City/District

State/Union Territory

PIN

(Indicating PIN is mandatory)

Telephone No. STD Code Telephone No.

e-mail ID (a)
(b)

3. Nationality (Tick the appropriate entry)
Indian ☐ Foreign ☐

4. Permanent Account Number (PAN)

5. Existing Tax Deduction Account Number (TAN), if any

6. Existing Tax Collection Account Number (TCN), if any

7. Date (DD-MM-YYYY) - -

Signed (Applicant)

.....

Verification

*I/We, ..., in *my/our capacity as ..... do hereby declare that what is stated above is true to the best of *my/our knowledge and belief.

Verified today, the | | | - | | | - | | | | |
D D M M Y Y Y Y

.....
(Signature/Left Thumb Impression of Applicant)"

Note:

1. This column is applicable only if a single TAN is applied for the whole company. If separate TAN is applied for different divisions/branches, please fill details in (d).

2. For branch of individual business/Hindu undivided family, please fill details in (f).

3. For branch of firm/AOP/AOP (Trust)/BOI/artificial juridical person, please fill details in (h).

4. * Delete whichever is inapplicable.

[Notification No. 294/2004/F. No. 142/32/2004-TPL]

D. P. SEMWAL, Director (TPL-III)

Note : The principal rules were published *vide* Notification No. S. O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and last amended by Income-tax (19th Amendment) Rules, 2004 *vide* Notification S. O. No. 1334 (E) dated 7-12-2004.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.